संख्या-3/2023/404678/60-1099/157/2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 13 फरवरी, 2023**

विषय:- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा के संचालन हेतु नवीन भवन के किराया स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र संख्या-3426/निदे0म0क0/प्रोबे0/2022-23, दिनांक 20.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन विषयक वित्त लेखा अनुभाग-2 से निर्गत शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)/95, दिनांक 25.11.2011 में भवनों का किराया स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागो को कतिपय शर्तो के अधीन पूर्ण अधिकार प्रतिनिधानित किये गये है। तत्क्रम में उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), गोण्डा का संचालन किराये के भवन में किये जाने हेतु भवन का किराया रू0 45,220/- (रू0 पैतालिस हजार दो सौ बीस मात्र) प्रतिमाह स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।